

19/11/24

(1/1)

प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आष्य पैरा टुरी अधिवक्ता
अपीलेंट ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली आष्य
पैरी में तलब कर पत्रावली धरिये नोट-प्रेस
धारिष्य करने के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि अपीलेंट उक्त अपील को आगे नहीं
चलाना चाहता है। प्रकरण में आगामी पैरी दिनांक
19/11/2024 नियत है। अतः पत्रावली आष्य पैरी
में तलब कर धरिये नोट-प्रेस धारिष्य फरमार
जावे।


Not Present
Hund

अधिवक्ता अपीलेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को
अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलेंट पत्रावली

2/11/24

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 69/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	--	---

श्री आष्य तलब कर परिये नोट-प्रेस खारिज कर
 गने बाबत निवेदन किया है। अतः अपीलेंट
 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार
 किया जाकर पत्रावली पैशी दिनांक 19/11/2024
 से आष्य दिनांक पैशी में लिये जाने का
 आदेश प्रदान किया जाता है। इसके परन्चाह
 अधिवक्ता अपीलेंट के निवेदन पर पत्रावली
 परिये नोट-प्रेस खारिज की जाती है। पत्रावली
 फ़ैसल शुमार होकर बाद आवक्यत कार्यवाही
 दाखिल हुफ्त ले।


 राजस्व अंतिम प्राधिकारी
 पाली